प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,

भारत इण्टरनेशनल स्कूल सराय निर्भय संग्रामगढ़

प्रतापगढ

पत्रांक / मान्यता / 10904 — 10 /2012—13 दिनांक 18 — 10 — 12 विषय:—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आप के तारीख 18-10-2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं भारत इण्टरनेशनल स्कूल सराय निर्भयं संग्रामगढ़ प्रतापगढ़ ग्राम सराय निर्भय पो0 प्रतापपुर चेरगढ़ प्रतापगढ़ को तारीख 01-07-2012 से तारीख 30-06-2015 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है:-

1— मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3- विद्यालय कक्षा 1 में(या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसकें पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4— पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता

रखेगा।

(v)

5— सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता—पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6— विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को ,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी

कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा। (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा, उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पन्न प्रदान किया जायेगा।

अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश

दिया जाना

- (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है, पांच वर्ष की अविध के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
- (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगे।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है:-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-	5424.74 वर्गमीटर	
कुल निर्मित क्षेत्र—		
क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल—	905.83 वर्गमीटर	
कक्षाओं की संख्या-	4518.9 वर्गमीटर	
	10	
प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भाडागार के लिये कक्ष-	03	
बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय-	है	
पेयजल सुविधा-	है	
मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई-		
बाधा रहित पहुच	है	

अध्यापन पठन सामाग्री / क्रीडा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता -उपलब्ध है विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यताप्राप्त कक्षाए नहीं 9-चलाई जाएगी।

विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के 10-प्रयोजनों के लिये किया जाता है।

विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी 11-सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा

स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं 12-

चलाया जा रहा है।

विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित 13-किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

आप के विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक E-0002 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस 14-

कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे।

विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सुचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा 15-अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बंधी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाए।

सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए। 16-

संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त। 17-

(एस०टी०-हसैन) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

प्रतापगढ ध्य

/2012-13 दिनांक उक्तवत.

पु०सं० / मान्यता /

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-शिक्षा निदेशक(बेसिक) उ०प्र०,शिक्षा सामान्य(२) अनुभाग,इलाहाबाद।

2—सचिव,उ०प्र०,बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।

3-सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक) इलाहाबाद मण्डल,इलाहाबाद।

4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्यण अधिकारी प्रतापगढ़।

5-सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

6-कार्यालय सुरक्षा पत्रावली हेत्।

(एस० टी० हसेन) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ

प्रेषक

सुनील कुमार प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनाँकः 🗗 🗗 मई, 2013

विषयः अशासकीय नर्सरी / प्राथमिक (प्राइमरी) / उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) हिन्दी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—442 / 79—6—2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 05—12—2012, दिनांक 12—02—2013 एवं दि० 30—04—2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली—2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय—समय पर मा० उच्चतम् न्यायालय एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त पूर्व में उक्त विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमावली एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी / प्राथमिक (प्राइमरी) / उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की अस्थायी / स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निध्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष रवीकृति प्रदान करते हुँ:—

- (1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त मानक एवं शतों को पूर्ण करने वाल विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक / शर्तो को उ०प्र० नि:शुल्क एवं अनिवार्थ बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली—2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।
- (3) विद्यालय में अग्नि शमनयंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

- (4) विद्यालयों में ज्वलनशील एवं जहरीले पदार्थ छात्र/अध्यापक की पहुँच से दूर सुरक्षित रखने की व्यवस्था की जाय तथा उसका प्रयोग प्रशिक्षित अध्यापकों/कर्मचारियों द्वारा ही किया जाय।
- (5) विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा विद्यालय भवन की मजबूती के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारी / अभियन्ता से भवन नेशनल बिल्डिंग कोड के मानकों के अनुरूप होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा समय-समय पर समीक्षा के अन्तर्गत भी भवन की सुरक्षा का प्रमाण-पत्र प्रबन्धतंत्र को प्रस्तुत करना होगा। विद्यालय भवन की सुरक्षा एवं रख-रखाव का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धतंत्र का होगा। प्राथमिक विद्यालय में नेशनल बिल्डिंग कोड के अनुरूप भवन की गुणवत्ता के संबंध में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग एवं आरई.एस. के जिस अभियन्ता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा उनका विवरण निम्नवत् है :--
  - 1. ग्राउंड फ्लोर पर निर्मित भवन-अवर अभियन्ता
  - 2. एक से अधिक मंजिल के विद्यालय सहायक अभियन्ता

निरीक्षणकर्ता अधिकारी को यह भी सुनिश्चित कराना होगा कि विद्यालय भवन की छत एवं दीवारों के निर्माण में पूर्ण मजबूती है और भवन में धूप व ठंड से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था की गयी है। कक्षा—कक्ष हवादार एवं रोशनीयुक्त हैं।

्एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन की सीढ़ियाँ जो निकास मार्ग के रूप में प्रयुक्त हो रही हों. नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 में निर्धारित मानक के अनुसार बनायी गयी हो, ताकि आकस्मिकता की स्थिति में बच्चों के निकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

- (6) विद्यालय के शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मियों को अग्निशमन उपकरणों और सुरक्षा के उपायों के लिए जिला स्तरीय आपदा प्रबन्धन समिति / अग्निशमन अधिकारी के माध्यम से नि:शुल्क प्रशिक्षित किया जाय ताकि आग लगने की रिथित अथवा अन्य आकरिमक आपदा की स्थिति में बच्चों को सुरक्षित तरीके से बचाया जा सके।
- (7) नर्सरी / प्राथमिक (प्राइमरी) / उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) की शिक्षा प्रदान करने वाले समस्त अशासकीय विद्यालय स्ववित्त पोषित होंगे जिन्हें राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का अनुदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

## (2) पूर्व से भान्यता प्राप्त विद्यालयों के संदर्भ में मानक एवं शर्तें

यदि विद्यालय निःशुल्क और अनियवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम—2009 के कम में उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली—2011 लागू होने के पूर्व से संचालित है तो उसके द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचना सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को तीन माह के अन्दर प्रस्तुत की जायेगी तथा निम्नलिखित मानकों को पूरा करने की अनिवार्यता होगी :-

(क) विद्यालय संचालित करने वाली संस्था सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो।

(ख) विद्यालय किसी भी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह अथवा एसोसियेशन को लाभ पहुँचाने के लिए संचालित नहीं किया जायेगा।

- (ग) भारत के संविधान में प्राविधानित राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय ध्वज व सर्वधर्म समभाव तथा मानवीय मूल्यों की संप्राप्ति के लिए प्राविधान समितियाँ तथा समय-समय पर निर्गत शासन के आदेशों का पालन करना अनिवार्य
- विद्यालय के भवनों तथा परिसरों को किसी भी दशा में व्यवसायिक एवं आवासीय उद्देश्यों के लिए दिन और रात में प्रयोग नहीं किया जायेगा, परन्तु विद्यालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कर्मियों के आवास हेतु छूट
- (ङ) विद्यालय भवन परिसर अथवा मैदान को किसी राजनैतिक अथवा गैर शैक्षिक क्रिया-कलापों के प्रयोग में भी नहीं लिया जायेगा। विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकृतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग-रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

विद्यालय का किसी सरकारी अधिकारी अथवा स्थानीय शिक्षा अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकेगा।

(छ) खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उनसे उच्च स्तर के शिक्षा विभाग के अधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ही विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकेगा।

बेसिक शिक्षा विभाग के जनपदीय/मण्डलीय/राज्य स्तरीय अधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी विद्यालय से सूचना मांगे जाने पर आवश्यक आख्या एवं सूचनायें निर्देशानुसार उपलब्ध करायी जायेगी तथा निर्देशों का पालन विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(झ) ऐसे विद्यालय जो निर्धारित घोषणा पत्र के द्वारा यह सूचित करते हैं कि उनके द्वारा निर्धारित मानक / शर्तो को पूर्ण कर लिया गया है, उन विद्यालयों का सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 माह के अन्दर

स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा।

(ञ) अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर विद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की तिथि के 60 दिन के भीतर जिन विद्यालयों द्वारा शर्तें पूर्ण कर ली गयी हैं, उनके संदर्भ में इस आशय का आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी कर दिया जायेगा। विवादित मामलों में अपर निदेशक (बेसिक), इलाहाबाद से आदेश प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।

सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ऐसे विद्यालयों की सूची भी तैयार की जायेगी, जो मान्यता की निर्धारित शर्तों को पूर्ण नहीं करते है। ऐसे विद्यालयों को कमियों के सम्बन्ध में सूचित किया जायेगा तथा विद्यालयवार कमियों का विवरण वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जायेगा। GORP WAL

कमियों का निराकरण निर्धारित अवधि में सम्बन्धित प्रबन्धतंत्र के द्वारा आवश्यक रूप से कर लिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी यदि विद्यालय निर्धारित मानकों एवं शर्तो को पूर्ण नहीं करते हैं तो उ०प्र० निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली लागू होने की तिथि से 03 वर्ष के उपरान्त इस प्रकार के विद्यालयों के संचालन पर रोक लगायी जा सकती है और ऐसे विद्यालयों की मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही भी की जायेगी।

### (3) अशासकीय नर्सरी / प्राथमिक (प्राइमरी) / उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) को मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्ते :--

1—आवेदन की अर्हता

शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखने वाले व्यक्तियों अथवा किसी विधि मान्य पंजीकृत सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा निर्धारित शिक्षा स्तर के विद्यालय मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन कर सकते हैं।

निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित अशासकीय विद्यालयों को निम्न प्रकार

क़ी संस्था के रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी :--

(1) नर्सरी विद्यालय—नर्सरी स्तर की दो कक्षायें तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षायें)।

(2) प्राइमरी विद्यालय—(प्राथमिक स्तर की 5 कक्षायें)।

(3) उच्च प्राथमिक विद्यालय (बालक / बालिका) (जूनियर हाईस्कूल स्तर की 3 कक्षायें)।

प्राथमिक स्तर की 05 कक्षाओं के साथ नर्सरी स्तर की शिक्षा देने के लिये प्रतिदिन होने वाली मॉग को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर की 05 कक्षाओं के साथ-साथ नर्सरी स्तर की कक्षाओं को मान्यता प्रदान की जा सकती है। इस प्रकार के विद्यालय की मान्यता हेतु अन्य सामान्य शर्तों को पूरा करने के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा :-

1. भवन :-विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने

की स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।

2. विद्यालय भवन :— मान्यता के लिये प्राथमिक के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा—कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात् प्रत्येक कक्षा—कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के वैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे बच्चें कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर एकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।

3. प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग—अलग कक्ष

उपलब्ध होना चाहिए।

4. छात्र / छात्राओं तथा अध्यापक / अध्यापिकाओं के पृथक-पृथक मूत्रालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

5. विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

6. विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए।

# 7. पुस्तकालय, साज-सज्जा एवं उपकरण :-

प्राथमिक विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा-5 के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के खेल-कूद का सामान, मानचित्र, विभिन्न शैक्षिक चार्ट तथा नर्सरी कक्षाओं हेतु बच्चों के खिलोंने आदि का होना आवश्यक है।

#### 8 क्रीड़ा स्थल:-

खेलकूद के लिये यथासम्भव विद्यालय परिसर में या विद्यालय परिसर के समीप क्रीड़ा स्थल उपलब्ध होना चाहिए जहाँ कबड्डी, बालीवॉल, बैडिमिन्टन, बास्केट बॉल, खो—खो आदि जैसे खेलों हेतु निर्धारित स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिसका उपयोग विद्यालय के छात्र/छात्राएँ कर सकते हों।

#### विशेष:-

बालिका विद्यालयों के लिए क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। इसी प्रकार घनी आबादी वाले नगर क्षेत्र में बालकों के विद्यालयों में जहां स्थानाभाव हो, क्रीड़ा स्थल की छूट दी जा सकती है। कीड़ा स्थल के अभाव में किसी विद्यालय को भी मान्यता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

9. आवेदन शुल्क :- नर्सरी / प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क रू० 2000/— सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

10. विद्यालय में सुरक्षित कोष के रूप में रू० 5000 (रू0 पाच हजार मात्र) की एन०एस०सी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से

# (4) नर्सरी विद्यालय तथा प्राथमिक विद्यालय की मान्यता प्रदान किये जाने की

विद्यालयों द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पारित नियमावली .2011 के साथ संलग्न प्रारूप (संलग्नक-1) पर मान्यता का आवेदन सम्बन्धित संस्था द्वारा इस आदेश में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार करना होगा। 10-21

मान्यता समिति प्राथमिक विद्यालयों की मान्यता पर निम्नलिखित समिति द्वारा विचार किया जायेगा :-

1— सम्बन्धित जिले का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अध्यक्ष 2— सम्बन्धित जिले का वरिष्ठतम खण्ड शिक्षा अधिकारी सदस्य/सचिव 3— सम्बन्धित जिले के प्राचार्य डायट द्वारा नामित प्रवक्ता सदस्य

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता हेतु विद्यालय से प्राप्त सूचना एवं स्थलीय निरीक्षण आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित समस्त प्रपत्र मण्डल स्तर पर गठित मान्यता समिति को प्रेषित की जायेगी तथा समिति के निर्णय के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) पर विद्यालय की मान्यता के सम्बन्ध में आदेश जारी किये जायेंगे।

कर्मियों को देय वेतन

मान्यता प्राप्त नर्सरी एवं प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापक एवं कर्मचारियों को देतनमान, महंगाई भत्ते तथा अन्य भत्ते का भुगतान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने स्रोत से किया जायेगा।

मान्यता प्राप्त विद्यालय में परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यकम तथा पाठ्य पुरतकों को उपयोग किया जायेगा।

### शिक्षकों की अर्हता एवं नियुक्ति प्रक्रिया :--

शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता वही होगी जैसा कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 (अद्यतन यथासंशोधित) में निहित है तथा भर्ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्ते नियमावली 1975 में प्राविधानित है।

### (5) <u>उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल स्तर) की मान्यता हेतु</u> नियम/शर्तै:—

आवेदन करने की अर्हता

शिक्षा के क्षेत्र में रूचि रखने वाले व्यक्तियों / स्वैच्छिक संस्थाओं, ट्रस्टों द्वारा अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) संचालित किये जा सकते हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की आवश्यकता पर विचार करते समय यह देखना आवश्यक होगा कि :-

(क) प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय में उसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उस विद्यालय के प्रबन्धाधिकरण द्वारा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे तथा जिन विषयों में अध्यापन के लिए ऐसे विद्यालय को मान्यता दी गई हो उनके लिए बेसिक शिक्षा परिवद द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी।

- (ख) मान्यता प्राप्त विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। सभी विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की
- (ग) मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रबन्धतंत्र का यह भी दायित्व होगा कि वह समय-समय पर निर्गत शासनादेश तथा विभागीय आदेशों का पालन करेगा।
- (घ) विद्यालय की प्रबन्ध समिति सोसाइटी राजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हो तथा नवीनीकृत हो।
- (ड.) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा, न समाप्त कियां जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमति नहीं होगी।
- (व) एक ही संस्था द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक प्राथमिक / नर्सरी कक्षाओं हेतु अलग–अलग मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

#### शिक्षा का माध्यम

देवनागिरी लिपि होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी। विद्यालय में अमान्य पुस्तकों का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा तथा विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश लिया जाना अनिवार्य होगा।

#### वित्तीय शर्ते

मान्यता की उपर्युक्त शर्तो के अतिरिक्त एक मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए निम्नलिखित शर्तो का अनुपालन भी अनिवार्य

- (क) विद्यालय का संदान रू० 20,000/— मूल्य की धनराशि का होगा। वह संदान सम्पत्ति अथवा नकद रूप में रखी जा सकती है यथा :--
- (1)नकद धनराशि।
- सरकारी जमानत। (2)
- (3)अचल सम्पत्ति।

#### टिप्पणी:-

यदि संदान नकद धनराशि अथवा सरकारी जमानत के रूप में हो तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत होना चाहिए। अचल सम्पत्ति के विषय में प्रबन्धक अथवा अन्य किसी अधिकारी को जिसे संस्था की ओर से सम्पत्नि के बेचने तथा तदर्थ विधि–पत्र (डीड) लिखने का अधिकार हो, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनुबन्ध पत्र लिखना आवश्यक होगा कि उक्त सम्पत्ति सक्षम अधिकारियों की लिखित आज्ञा के बिना स्थानान्तरित नहीं की

जायेगी अथवा किसी भी प्रकार प्रतिबन्धित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र भी लिया जायेगा। अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन और उससे होने वाली आय का प्रमाण-पत्र किसी ऐसे राजस्व अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना वाहिए जो तहसीलदार से कम स्तर का न हो। नगरपालिकाओं के क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका के एक्जीक्यूटिव आफिसर अथवा उप नगर अधिकारी का प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जायेगा।

संस्थान द्वारा रू० 5000 / — की धनराशि का एक स्थाई कोष बनाया जायेगा और उसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम प्रतिभूत कर दिया जायेगा। राज्य अथवा केन्द्रीय सरकारी बोर्ड अथवा फौजी आर्डिनेन्स फैक्टरियों द्वारा संचालित किसी भी संस्था को सदान और स्थाई कोष की शर्तों की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु ऐसी किसी संस्था को संचालित करने के लिए सक्षम अधिकारियों की स्वीकृति का प्रस्ताव तथा आवर्तक और अनावर्तक व्यय के लिए आवश्यक प्राविधान होना चाहिए।

## (६) मान्यता हेतु आवेदन पत्र दिये जाने की प्रक्रिया :--

(1)—निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र के साथ यथा निर्धारित शुल्क (बैंक ड्राफ्ट के रूप में जो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम हो, जिसे सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के संगत लेखाशीर्षक में राजकोष में चालान द्वारा जमा किया जायेगा)।

निर्धारित आवेदन पत्र का प्रारूप निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमावली 2011 के

संलग्नक के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) की मान्यता हेतु आवेदन शुल्क रू० 3000/— सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पदनाम से बेंक ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जायेगा, जो उनके द्वारा संगत लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2)—आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनकी जांच/निरीक्षण की कार्यवाही की जायेगी तथा इस विषय से संबंधित विद्यालयों को भी सूचित किया जायेगा। निरीक्षण हेतु जो अधिकारी विद्यालय का निरीक्षण करने जायेगा, वह यह सुनिश्चित करेगा कि निरीक्षण के समय ग्राम प्रधान/पंचायत सदस्य/प्रतिनिधि उपस्थित हों, जिससे स्थानीय जनता को जानकारी हो सके कि विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण वास्तव में किया गया है। निरीक्षण के समय मान्यता की शर्तों में जो किमयाँ पायी जायें, उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धतंत्र को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा। विद्यालय को आपत्तियाँ सूचित करने के दिनांक के 02 माह के भीतर प्रबन्धाधिकरण को स्वप्रमाणित आपत्ति निवारण आख्या (तीन प्रतियों में) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फो उपलब्ध करानी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्राप्त आख्या का परीक्षण कर अपनी आख्या/संस्तुति मान्यता समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करेगा।

#### (7) भान्यता समिति :-

उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नलिखित मान्यता समिति विचार करेगी :--

(1) मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)

अध्यक्ष

(2) सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

सदस्य / सचिव

(3) जनपद का वरिष्ठतम खण्ड शिक्षा अधिकारी

सदस्य

मान्यता समिति की बैठकें निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सम्पन्न होंगी तथा बैठक का कार्यवृत्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) द्वारा अपने कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। कार्यवृत्त की प्रतियाँ सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके आधार पर विद्यालयों की मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(8) मान्यता हेतु भवन की शर्ते :--

(1) विद्यालय सोसाइटी का आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष तक किराये/लीज पर भवन उपलब्ध होने पर मान्यता के लिये विचार किया जा सकता है। किराये का भवन होने की स्थिति में किरायानामा पंजीकृत (रजिस्टर्ड) होना अनिवार्य है।

- (2) मान्यता के लिये जूनियर स्तर के प्रत्येक कक्षानुभाग में प्रति छात्र 09 वर्ग फीट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए, परन्तु कक्षा—कक्ष का क्षेत्रफल 180 वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए अर्थात प्रत्येक कक्षा—कक्ष में कम से कम 20 बच्चों के बैठने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, जिससे बच्चें कक्षा में शैक्षणिक गतिविधियाँ सुविधापूर्ण ढंग से संचालित कर सकें। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्रओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो। विद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय भी होना चाहिए।
- (3) प्रधानाध्यापक, कार्यालय तथा स्टाफ के लिये अलग—अलग कक्ष उपलब्ध होना चाहिए।
- (4) छात्र / छात्राओं तथा अध्यापक / अध्यापिकाओं के पृथक—पृथक मृत्रालय एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (5) विद्यालय में पीने के स्वच्छ (जीवाणु रहित) पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।
- (6) विद्यालय भवन का वाह्य रंग सफेद होना चाहिए और अधिकतम दो वर्ष में विद्यालय भवन में रंग—रोगन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।

#### साज-सज्जा एवं उपकरण

विद्यालय में छात्र / छात्राओं के नामांकन तथा आयु के अनुसार बैठने के लिए उपयुक्त फर्नीचर तथा अध्यापकों के लिए कुसी, मेज उपलब्ध होने चाहिए। पुस्तकालय

जूनियर स्तर के विद्यालयों में कक्षा—8 तक के लिए छात्रोपयोगी विभिन्न विषयों की पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त सामान्य ज्ञान, शिक्षाप्रद पुस्तकें तथा पत्र—पत्रिकाओं की व्यवस्था भी होनी चाहिए। विज्ञान सामग्री

विद्यालय में पाठ्यकमानुसार आवश्यक विज्ञान सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार भौगोलिक नक्शों, ग्लोब, विषय से सम्बन्धित चार्ट उपलब्ध होने चाहिए। टू—इन—वन कंसेट, टी०वी० आदि की व्यवस्था विद्यालय अपने आर्थिक संसाधनों के दृष्टिगत कर सकते हैं।

स्टाफ

विद्यालय में निम्न विवरण के अनुसार स्टाफ उपलब्ध होना चाहिए :-

(1) प्रधानाध्यापक तथा प्रत्येक कक्षा कक्ष हेतु एक शिक्षक, जिसमें एक विज्ञान एवं गणित, सामाजिक अध्ययन तथा भाषा से सम्बन्धित होगा।

(2) कला शिक्षक, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा एवं कार्यानुभव शिक्षण हेतु एक–एक शिक्षक।

(3) कोई भी व्यक्ति किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह बेसिक शिक्षा परिषद / शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे पदों के लिए निर्दिष्ट शैक्षिक एव प्रशिक्षण की अर्हताएं न रखता हो।

(4) शिक्षकों / कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (जूनियर हाईस्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्ते) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

(5) प्रत्येक 35 छात्र पर एक शिक्षक का अनुपात बनाये रखना अनिवार्य होगा। शुल्क / फीस

मान्यता प्राप्त विद्यालय द्वारा छात्रों से शिक्षण शुल्क एवं महंगाई शुल्क मिलाकर उतना मासिक शुल्क स्वीकार किया जायेगा जो अध्यापक / कर्मचारी कल्याणकारी योजना अंशदान वहन करने के लिए पर्याप्त हों। इसके अतिरिक्त शिक्षण शुल्क तथा महंगाई शुल्क से विद्यालय की वार्षिक आय में से वेतन भुगतान के पश्चात शुल्क आय के 20 प्रतिशत से अधिक बचत न हो। शिक्षण शुल्क में कोई वृद्धि तीन वर्ष तक नहीं की जायेगी। शुल्क में जब वृद्धि की जायेगी, वह 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विद्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों में शुल्क लिया जा सकता है :—

1— शिक्षण शुल्क, 2— महंगाई शुल्क, 3— विकास शुल्क, 4— बिजली पानी आदि, 5— पुस्तकालय एवं वाचनालय, 6— विज्ञान शुल्क, 7— श्रब्य शुल्क, 8— क्रीड़ा शुल्क, 9— परीक्षा/मूल्यांकन, 10—विद्यालय समारोह/उत्सव, 11—विशेष विषयों की शिक्षा— कम्प्यूटर / संगीत आदि।

नोट :- पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क तथा कैपीटेशन के रूप में कोई फीस विद्यार्थियों से लेना वर्जित होगा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना संस्था द्वारा कक्षा अथवा कोई अनुभाग न खोला जायेगा और न ही बन्द किया जायेगा न समाप्त किया जायेगा और न ही स्थानान्तरित किया जायेगा। किसी भी विद्यालय को शाखा विद्यालय चलाने की अनुमित नहीं होगी।

विद्यालय बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा–19 एवं अनुसूची में विहित स्तर एवं मानकों को स्थापित रखेगा।

## (9) शैक्षिक सत्र 2013–14 की मान्यता प्रदान करने के संबंध में समय सारिणी:--

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक / सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप—1 के अनुसार स्वघोषणा—सहआवेदन पत्र जो सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालयों में पूर्व से लम्बित हैं, उन आवेदन पत्रों पर समयबद्ध रूप से दिनांक 30 जून, 2013 तक नवीन मान्यता विषयक शर्तों के आलोक में मान्यता के संबंध में मान्यता समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

नोट:— जिन आवेदित विद्यालयों द्वारा उक्त निर्धारित गाइड लाइन्स का पालन नहीं किया हो, उनके आवेदन पर आगामी शैक्षिक सत्रों की मान्यता हेतु कमियों को पूरा किये जाने के उपरान्त मान्यता समिति द्वारा विचार किया जायेगा।

## (10) शैक्षिक सत्र 2014—15 एवं आगागी शैक्षिक सत्रों की मान्यता हेतु आवेदन करने और मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में समय सारिणी:—

विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए विद्यालय के प्रबन्धक / सक्षम प्राधिकारी द्वारा संलग्न प्रारूप—1 के अनुसार स्वधोषणा—सहआवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निम्न समय सारिणी में इंगित अवधि में प्राप्त कराया जायेगा तथा मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र का निस्तारण समय—सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार किया जायेगा:—

1.	पत्र को निस्तारण समय-सारिणी में इंगित तिथियों के अनुसार वि	त्यायाः जायदम् विशास्त्राचीयाः
	जिमा करना।	01 जुलाई से 31
2.	प्राप्त हुए आवेदन पत्रों के बारे सर्व साधारण को जानकारी दिया जाना।	अगस्त सितम्बर के प्रथम
3.	आवेदन करने वाले विद्यालय का निरीक्षण	सप्ताह 15 सितम्बर से
4.	सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा संस्था को कमी / शर्ते पूरी करने हेतु सूचित किया जाना।	31 अक्टूबर नवम्बर से
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	आवेदन कर्ताओं के प्रत्यावदन स्वीकार करना। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत	दिसम्बर जनवरी-फरवरी
	पत्र की संस्तृति पर मान्यता समिति त्या िर्मा निरक्षिणीपरान्त आवेदन	मार्च
7.	निया वार्यक शिक्षी अधिकारी द्वारा भारताता अनेक	31 मई तक

नोट:— मान्यता समिति की बैठकें वर्ष में दो बार नवम्बर एवं मार्च में आहूत की जायेंगी। निरीक्षण में निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले विद्यालयों को नवम्बर माह में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर मान्यता समिति मान्यता आदेश दिसम्बर में निर्गत किया जायेगा तथा निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूरा नहीं करने वाले विद्यालयों को किमयों को पूरा कराकर मार्च में आहूत बैठक में परीक्षणोपरान्त निर्णय लेकर 31 मई तक मान्यता आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

(11) मान्यता हेतु आवेदन की प्रकिया :-

शैक्षिक सत्र 2014–15 से मान्यता हेतु आवेदन की प्रक्रिया आन लाईन होगी, जिसके सम्बन्ध में वेब साइट का पता तथा आवेदन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

(12) विद्यालय की मान्यता का प्रत्याहरण :--

जहाँ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वयं या किसी व्यक्ति से प्राप्त प्रत्यावेदन के अधार पर अभिलिखित कारणों से संतुष्ट हैं कि मान्यता प्रदत्त किसी विद्यालय द्वारा मान्यता हेतु निर्धारित एक या एक से अधिक शर्तो का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं स्तर को पूर्ण करने में चूक की गई है तो उसके द्वारा निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी:— (क)— विद्यालय की मान्यता की जिस शर्त का उल्लंघन किया गया है उसे स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए विद्यालय को एक माह के अंदर स्पष्टीकरण सम्बन्धी नोटिस निर्गत किया जायेगा।

- (ख)— निर्धारित अविध में यदि विद्यालय का रपष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं होता है तो सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आगामी 07 दिन की अविध में एक त्रिस्तरीय समिति, जिसमें शासकीय प्रतिनिधियों के साथ एक शिक्षाविद भी सम्मिलत होगा, के द्वारा विद्यालय का निरीक्षण कराया जायेगा। समिति विद्यालय की जाँच कर, विद्यालय की मान्यता जारी रखने या समाप्त करने की संस्तुति के साथ अपनी आख्या निरीक्षण तिथि के एक (01) माह की अविध में सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। उपरोक्त समिति का गठन जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा एवं जिलाधिकारी को समिति के सदस्यों को परिवर्तित करने का अधिकार होगा।
- (ग)— सिमिति की आख्या के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित विद्यालय को पत्र भेजकर उन्हें अपना स्पष्टीकरण देने हेतु 30 दिन का अवसर देगा एवं प्राप्त स्पष्टीकरण का परीक्षण करके अथवा स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की स्थिति में अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मान्यता प्रत्याहरण के सम्बन्ध में 45 दिन के अंदर मान्यता सिमित का निर्णय प्राप्त कर लेंगे।
- (घ)— मान्यता समिति के निर्णय प्राप्ति के सात दिन के अंदर विद्यालय को प्रदत्त मान्यता रद्द करने का मुखरित आदेश (speaking order) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा। मान्यता रद्द होने का

आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(13) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया मान्यता के उक्त नियमों / शर्तों से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए मान्यता प्रदान किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भववीय, कर् (सुनील कुमार) प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 3—अपर शिक्षा निदेशक (बेo), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 4-सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 5-समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
- 6-समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7-शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी / अनुभाग।
- 8-गार्ड फाईल।

W.1

आज्ञा से,

( ममता श्रीवास्तव ) संयुक्त सचिव। आदेश तत्काल अनुवर्ती शैक्षिक सत्र से लागू होगा तथा उक्त आदेश में ही उन पड़ोसी विद्यालयों के नाम भी इंगित किये जायेंगे जहाँ मान्यता प्रत्याहरित विद्यालयों के बच्चों को नामांकित कराया जायेगा। उक्त आदेश को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारी को भी अवगत कराया जायेगा तथा सर्व साधारण की जानकारी हेतु स्थानीय एवं राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी तथा इसे वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(13) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया मान्यता के उक्त नियमों / शर्तों से सम्बन्धित अधिकारियों को अवगत कराते हुए मान्यता प्रदान किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें। संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार) प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव। प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

2-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3-अपर शिक्षा निदेशक (बें०), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय,

इलाहाबाद।

4-सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

5-समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।

6-समस्त जिला देसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

7-शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी / अनुभाग।

8-गार्ड फाईल।

me)

आज्ञा से, २००१ ८ | ५ १ १ २ २ ममता श्रीवास्तव ) • संयुक्त सचिव।

## परिशिष्ट प्रारूप–1

## विद्यालय को मान्यता प्रदान करने के लिए स्वःघोषण—सह-आवेदन (नियन—15 का उपनियम (1) देखिए)

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी, (जिला और संघ राज्यक्षेत्र का नाम)

महोदय,

में एतद्द्वारा निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की
अनुसूची में विनिर्दिष्ट सन्नियमों और मानकों के अनुपालन के संबंध में एक
स्वःघोषणा और(विद्यालय का नाम)
कोवर्ष 20विद्यालय के प्रारंभ से मान्यता प्रदान करने के लिए
विहित प्रारूप में एक आवेदन अग्रेषित करता हूँ।

अनुलग्नकः:

भवदीस

स्थान :

ारीख :

My Computer/D>Edu-6/G.O/2010/Razi .

		•
	Е	

स्थर	विद्यालय के भवन या अ ों का उपयोग केवल शिक्षा गन के तिए किया जा एहा है	और कीश					•		7.7.K.
- ग्रयो	गन के लिए किया जा रहा है	χ 6	"	.					
		· .			• .				1 1 20 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
છ. વિદ	लिय का कुल क्षेत्रफल	***			· .	<del></del>		-	
9. विद्य	लिय का निर्मित क्षेत्र			.	<del></del>	~~ <del>~~</del>		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	
	The second secon	<b>V</b> .	• .						

				-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>			and the second second
. • '	티 :	नामांकन	प्रांखीते .			·		11 17 . 12	3
			धाक्षा :		संदराना की सं	ख्या	विद्यार्थियों की	रांख्या ार्	
. u.	1.	• •	पूर्व-प्राथमिक		e contraction of	,		- 10 Ve (	
	2. :	• . •	1 से 5				. 7- PR	र के वनुष्ट है है है	P. 1
	3.		6 <del>से</del> 8			-		2.10	Andrew Comment

	कक्ष	संख्या		औरात आकार	१४१ मुख्या विश्वास
1.	कक्षा	., .	<del></del>		and the second second
	कार्यालय कक्षं-सह-मंडार		į.	विद्युक्त एक स्थितिहरू हुई एके र उपन	- : = : : : : : : : : : : : : : : : : :
	कक्ष-सह-प्राध्यापक कक्ष				dagya jakir egi
J. , ,	रसोई-सह-भेडार				State of the state

च. अन्य प्रर्	<u> र्विधाएं</u>	2 - CONTRACTOR OF
1.	क्या रानी प्रसुविवाओं तक बाधारहित पहुँच प्राप्त है	The transfer of the second
2.	अध्यापन पठन सामग्री (सूची संलग्न करे)	wante for the first or to consider the con-
3.	खेलकूद और क़ीड़ा उपस्कर (सूची संलग्न करे)	The same of the same of the same of
.ş. ·	पुस्तकालय में पुस्तकों की सुदिधा	
	• पुस्तकं (पुस्तकां की संख्या)	The second second
.•	• पत्रिकाएं/समाचार-पत्र	
5.	पेयजल सुविधाओं की किस्म और संख्या	
6.	स्वच्छता संबंधी दशाए	5
	(i) डब्ट्यू सी और मूत्रालयों की किरम	and the second s
	(ii) बालकों के लिए पृथक् मूत्रालयों/शीच गृहों की संख्या	
	(ii) वालिकाओं के लिए पृथक् मूत्रोलयों/शीच गृहीं की	

1.			Market and the second section of the second	·
,	अध्यापक का नाम .	पिता/पति या पत्नी का नाम	जन की तारीख	3 1876-11174 11
	(1)	(2)	(3)	2
	,	· Street · ·		
	शैक्षिक अहता	वृत्तिक अर्हताएं	अध्यापन संबंधी अनुभव	
	(4)	(5)	(6)	
		4		
<del></del>	सौंपी गई कक्षा	नियुक्ति की तारीख	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित	
	(7)	(8)	(9)	٠.
			and the state of t	
<ol> <li>प्राथिक</li> </ol>	र और माध्यमिक दोना में अध्याप	न, (प्रत्यक अध्यापक के ब्योरे पृथक् र	भ से)	
		1		

<del></del>	अध्यापक का नान . (1)	भिता/पति, या. पत्नी का नाम (2)	जन्म की तारीख (3)
	शिक्षिक अर्हता (4)	वृत्तिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव (6)
	(7)	ानेपुवितः की जारीख् (8)	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)
३. प्रधान अ	ध्यापक .		A Section of the sect
	The state of the s	Company Company of the State of	The second secon
A sequire	अध्यापक को नाम ११९ क (1) १४८० के १४४० व	पिता/पत्नी का नाम निर्देशिक (2) व्यक्तिक का सकत है। निर्देशिक अन्तिक	जन्म की तारीख
	(4)	वृत्तिक अर्हताएं (5)	अध्यापन संबंधी अनुभव <i>े हैं ।</i> (6)
	(7)	नियुवित की तारीख ४ ४५ ( <u>८)</u>	प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित (9)

	। ज. पाठयच	या और पाठ्यक्रम
	11.	United report of
	1	प्रत्येक कक्षा में अपनाई गुई पाठ्यच्या और पाठ्यक्रम के अवस्था अपनाई गुई पाठ्यच्या अपना
-		will farmy a very
		िचार (विद्या VIII तक)
•	2	ब्योर (कुशा VIII तक) विद्यार्थियों के निर्धारण की पदिति विद्यार्थियों के निर्धारण की पदिति विद्यार्थियों से विद्यार्थियों से विद्या 8 तक कोई बोर्ड
ì		ाष्ट्रमाथया के निर्धारण की पढिति
Į	3.	क्या विद्यालय के विद्यार्थियों से वंध्वा ६ तक कोई बोर्ड
- 1		पर्या प्रधालय के विद्यारियों से तरका है जरू के कर कि
- 1	7-1	STREET A POST OF THE STREET
Į		परीक्षा देने की अपेक्षा की जाती है? १९७० १९० १९०० १९०० १९००
		TOTAL TO THE PART OF THE PART
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

(झ) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय ने इस आवेदन के साथ जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के इस डाटा कैंपचर प्ररुप में भी सूचना प्रस्तुत की है ।

- (अ) प्रमाणित किया जाता है कि संपुधित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकत कियी अधिकारी द्वारा विद्यालय का कभी
- (ट) प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय यह वचनबंध करता है कि वह ऐसी रिपोर्ट और सूचनाएं प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपिक्षित हैं और समुचित प्रान्तिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी के ऐसे अमुदेशों का अनुपालन करेगा, जो मान्यता की सती के सतत अनुपालन की स्विधिकारी विद्यालय के कार्यकरण में कमियों की दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- (ठ) प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संगत विद्यालय के अधिलेख किसी थी समय जिला शिक्षा अधिकारी या समुचित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे और विद्यालय ऐसी सभी सूचना प्रस्तुल करेगा, जो केंद्रीय सरकार या स्थानिय निकाय या प्रशासन की विधालित, संसद/पंचायत/नगरपालिका के प्रति तराकी बाध्यताओं का निवहन करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक

₿./-

अध्यक्ष/प्रवेधके अवंधं समिति ..... विद्यालय

स्थान :

۳.,

1

#### वर्षा ।

ग्राम : ई-मेल :

फोल फेक्स

जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय (जिला/संग्री राज्यक्षेत्र का नाम)

संख्याक

तारीख

प्रविधक

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय

#### महोदय/महोदया,

आपके तारीखं के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचाएनिरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, में (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीखं से साथ पश्चात्वर्ती पत्राचाएनिरीक्षण (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीखं से साथ प्रदान करने की संसूचना देता हूं।

उपरोक्त मंजूरी निम्नितिखित शर्तों के पूरा किए जॉने के अध्ययीन है

- 1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें विसी भी रूप में क्या है के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाब्यता विवक्षित नहीं है
- 2. विद्यालय निःशुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियमें, 2009 (उपानंच 1) और निःशुक्त और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपारंच 2) के उपांची का पालन
- 3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में नालकों की संख्या के प्रतिशत तक आस-एडोस.के कटाओर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालका को प्रवेश प्रवान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध
- ्षेत्र असे तिर्दिष्ट आलुकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधार (2) के जुनकों के अनुसार प्रतिपृत्ति किया जाएगा में ऐसी तिवपृत्तियां ज्ञान करने के लिए विद्यालय एक पृथक है के खाता रखेगा ।
  - सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके बाला-पिता या संस्थाक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यूपीन नहीं करेगा
- 6. विद्यालय किसी बातक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नितिखित जुनिश्चित करेगा:
  - (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिला पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया आएगा या उसे विद्यालय से लिकासित नहीं किया आएगा;
  - (ii) किसी भी बालक को वारीरिक दंड या मानसिक उत्पीदन के अध्यधीन गर्ही किया जाएगा

- (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उतीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ;
- (iv) प्राथिनक शिक्षा पूरी एउँ। वाले प्रत्येक बालक ये नियम 25 के अधीन अधिकादात किए प्राप्त अनुसार एक प्रामाण-मन् प्रदान किया जाएगा :
  - (v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निश्चयतता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विधार्थियों को प्रवेश दिया जाना कार्या कार्
  - (vi) अध्यापको की भर्ती जिपिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित स्थूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परंतु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंध पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे ;
  - (vii) अध्यापक अधिनियन की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्ता का पालन करता है ; और

the regarding histories, to be some a **expension of a contract of** 

- (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7. विद्यालय समुनित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पार्व्यक्रम का पालन करेगा
- 8. विद्यालय् अधिनियमे की, धारा ां क्ष्म यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयः के मानुको और संनियमों को बनाए रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :--

विद्यालय परिस्रु का क्षेत्रफुल

फुल निर्मित क्षेत्र 🚟

Ha web i

心緣(內)50

1415(214)

1002 4.1

क्रीडा-स्थल के हैं। फ

कक्षाओं की संख्या

प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भाडानार के लिए कहा

बालक और बालिकाओं के लिए पृथक् शौचालय

पेयजल सुविधा

मिंड डे मील पकाने के लिए रहाई

बाधार्राहेत पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करो/पुरतकालय की उपलब्धित

- विधालया के परिसरों के मीलर या उसके बाहर विधालय के नाम से कोई गेरूमान्यताप्राप्त कथाएं नहीं चलाई जाएंगी ।
- 10. विद्यालय भेवनी या अन्य राज्यनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11. विद्यालय को त्रोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गाँठत किसी लोक न्यास द्वारा वताया जा रहा है।
- 12. रकूल को किसी व्यस्टि व्यस्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए
- 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकास्टेट द्वारा संएशका की जानी चाहिए और स्वसंके द्वारा प्रभाणित किया जाना चाहिए तथा उसित लेखा विवरण निरंमी के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी की भेजी जानी चाहिए ।

- 14. आपके विद्यालय को अबिटित भान्यसूर कोड् संख्योक ...... है। कृपसा इसे नोर्ट कर ले और इसे कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख कर ।
- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और जूनना प्रस्तुत करात है. जो जाय-जनय पर शिक्षा निदेशक/जिजा शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शता के सतत् अनुपालन की सुनिश्चित करने या विद्यालय के स्वार्थ की किसी की की किसी की दूर करने के लिए जाएं। जाएं हो किसी की दूर करने के लिए जाएं हो जाएं हो किसी की किसी की स्वर्थ के
- 16. सोसाइटी के पीनस्ट्रीकरण के न्वीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाएं।
- ान वित्र में के सेल्पने **उ**पावंचे के अनुसार अन्य कोई सर्त ।

दे<del>ती क्याफ़ में विकार के कि</del>

भवदीय

जिला शिक्षा अधिकारी